कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी

पत्रांक सीएफओ–बीबीके / पी–1 / 2016 दिनांक:मई ,2016

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

विषय: मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम बाराबंकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ एंव सीनियर रीजनल मैनेजर लखनऊ के द्वारा ग्राम–काकरी, तहसील हैदरगढ, जनपद– बाराबंकी के खसरा सं0 749, सुलतानपुर से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731(Old NH No.56) कि.मी. स्टोन संख्या 176 (से 60मीटर लखनऊ की तरफ) एंव 177 के लगभग बीच में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट, पेट्रोल (MS) एंव डीजल (HSD) विकय हेतु अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम बाराबंकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ एंव चीफ रीजनल मैनेजर लखनऊ के पत्रसंख्या:LRR/RG/RETAIL/LOI-143 Dated:15-04-2016 पर आपका पृष्ठांकन आदेश दि0:27.04.2016

उपरोक्त विषय व सन्दर्भ में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ एंव सीनियर रीजनल मैनेजर लखनऊ के सन्दर्भित पत्र व उसके साथ संलग्न पत्र संख्या REF : LRR/RG/RETAIL/LOI-143 Dated:04-03-2016 द्वारा डीलरशिप श्री पवन कुमार गौतम पुत्र श्री मातादीन गौतम, ग्राम व पोस्ट काकरी, तहसील–हैदरगढ, जनपद–बाराबंकी –225126 के नाम दिये जाने का प्रस्ताव ग्राम–काकरी, तहसील हैदरगढ, जनपद–बाराबंकी के खसरा सं0 749, सुलतानपुर से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731(Old NH No.56) कि.मी. स्टोन संख्या 176 (से 60 मीटर लखनऊ की तरफ) एंव 177 के लगभग बीच में स्थल प्रस्तावित है।

उपरोक्त सन्दर्भित विषय में मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम बाराबंकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ एंव सीनियर रीजनल मैनेजर लखनऊ के द्वारा प्रेषित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्नि सुरक्षा एंव पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 तथा OISD-225 के मानकों के अनुरूप मेरे आदेशानुसार अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी श्री ए0के0 सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं परीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य प्रकाश में आये:–

1– निरीक्षण के समय प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल खाली पाया गया जो सुलतानपुर से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 731 पर प्रस्तावित है, जहां पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं।

2– प्रश्नगत् प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल 2500.00 वर्गमीटर है।

3– 16 एवं 22 के0 एल0 क्षमता के दो अदद हाई स्पीड डीजल भूमिगत टैंक तथा 16 के0एल0 क्षमता का एक अदद पेट्रोल भूमिगत टैक प्रस्तावित है।

4– टैंकों के मध्य 4 मी0 ऊचॉई के अलग–अलग तीन वेन्ट पाइप प्रस्तावित है।

5– भूमिगत टैक एंव वाउण्ड्रीवाल के मध्य 1.5 मी0 चौड़ाई का सेटबैक छोडा जाना प्रस्तावित है।

6– निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजरी पायी गयी।

7– पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में प्रवेश करने एंव बाहर निकलने के मार्गों की चौडाई 11.50 मी0 प्रस्तावित है। जो मानक के अनुरूप है।

8– मार्ग एंव पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के मध्य 22.50 मी0 लम्बी एंव 3.00मी0 चौडी बफर स्ट्रिप का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

9–प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल के आस पास किसी ज्वलनशील पदार्थों का रख–रखाव / भण्डारण / दुकान / भट्ठा आदि नहीं पाया गया।

प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली

1– सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0 / एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये।

2– प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नहीं होना चाहिए एंव ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।

क्रमशः पेज संख्या....2

C. F. O.
B.B.K.

3– वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।

4– टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।

5– लारी/तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।

6– स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जाये।

7–प्रत्येक डिस्पेंसर युनिट के पास 2 अदद आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जाये समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कियाशील रखने एंव उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।

8– इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क कार्बन डाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जाये।

9– डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 9 कि0ग्रा0 क्षमता एंव दो अदद 9 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्क के रखे जाये और विद्युत बसबार के पास आई0एस0 मार्कए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि0ग्रा0 क्षमता मार्क के रखे जाये। D.G Sets के स्टैक Hight नियमानुसार होना चाहिए एंव टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।

10–समरसेबिल पम्प को जनरेटर से जोडा जाये व पम्प पर टी लगाकर 63 एम0एम0 की मेल कपलिंग/हाइड्रेण्ट लगवाये जाये जिससे अग्निशमन के वाहन आवश्कता पडने पर पानी प्राप्त कर सकें।

11–लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।

12–प्रत्येक डिस्पेंसर युनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।

13–इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।

14–पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार प्रतिवर्ष होनी चाहिए।

15–पेट्रोल पम्प पर **धूम्रपान निषेध** के बोर्ड लगे होने चाहिए।

16–फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0 101, 222999 व मो0नं0 9454418732/33 और जिला कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।

17–प्रवेश/निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।

18–ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:–

(अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।

(ब) धूम्रपान न करें।

(स) मोबाइल बंद रखें।

20–रिटल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

21–मानचित्र में अंकित बिन्दु संख्या 1–20 तक का पूर्णतया पालन किया जाये।

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का पालन करने एंव पेट्रोलियम एक्ट, 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों का कडाई से पालन किये जाने के आधार पर आख्या संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है। उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की दशा में आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र।

12.5.16

(आर0 के0 तिवारी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बाराबंकी।
बाराबंकी

प्रतिलिपि–अग्निशमन अधिकारी बाराबंकी को सूचनार्थ प्रेषित।